न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारीः– **जय कौशिक(आर.ए.एस.)**

राजस्व वाद : 88 आर.टी.ए. व

नम्बर मुकदमा – 426/2025

महिन्द्र सिह पुत्र हजूर सिह जाति जटसिख निवासी नथाणा तहसील व जिला बठिण्डा (पंजाब)

– वादी

बनाम

1 कुलदीप सिह पुत्र हजूर सिह जाति जटसिख निवासी नथाणा तहसील व जिला बठिण्डा (पंजाब)

2 बलविन्द्र सिह पुत्र हजूर सिह जाति जटसिख निवासी नथाणा तहसील व जिला बठिण्डा (पंजाब)

3 सुखदेव सिह पुत्र हजूर सिह जाति जटसिख निवासी नथाणा तहसील व जिला बठिण्डा (पंजाब)

4 दर्शन सिह पुत्र हजूर सिह जाति जटसिख निवासी नथाणा तहसील व जिला बठिण्डा (पंजाब)

5 अमरजीत कौर पुत्री हजूर सिह पत्नी अमरीक सिह जाति जटसिख निवासी नारंग तहसील डबवाली जिला सिरसा (हरि0)

6 तहसीलदार (राजस्व) संगरिया तह. संगरिया

प्रतिवादीगण

उपस्थित

श्री नक्षत्र सिह सिद्धू – अधिवक्ता वादी

श्री चरणजीत सिह सिद्धू – अधिवक्ता प्रति स. 1 ता 4

निर्णय

अधिवक्ता वादी द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया। जिसके तथ्य निम्नानुसार है कि वादी व प्रति स. 1 ता 5 एक ही संयुक्त परिवार के सदस्य है।वादी व प्रति स. 1 ता 5 के पिता हजूर सिह पुत्र केहर सिह के नाम चक 17 बी.जी.पी. खाता स. 18/153 खाता रणजीत कौर वगैरा ज.स. 2072–75 व चक 10 ए.एम.पी. खाता स. 127/49 खाता सुखप्रीत कौर वगैरा ज.स. 2070–73 में आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। दावा की दफा 3 में दर्ज आराजी की वसीयत हजूर सिह पुत्र केहर सिह ने अपने जीवनकाल में सबरजिस्ट्रर नथाणा तहसील व जिला बठिण्डा के समक्ष दिनांक 18–7–2012 को बरोबरू गवाहान करवा दी थी। हजूर सिह पुत्र केहर सिह दिनांक 1–12–2012 को फौत हो गये है। वादी व प्रति स. 1 ता 4 हजूर सिह पुत्र केहर सिह के फौत होने के बाद हजूर सिह पुत्र केहर सिह के नाम दर्ज आराजी के ब.हि.ब. के मुताबिक वसीयत हकदार है।अब वादी व प्रति स. 1 ता 4 मुताबिक वसीयत उक्त आराजी अपने नाम दर्ज

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

करवाने के अधिकारी व दावेदार है। इसी कदर की घोषणात्मक डिक्री वादी व प्रति स. 1 ता 4 करवाना चाहते है। दावा की दफा 3 में दर्ज वादग्रस्त आराजी वादी व प्रति स. 1 ता 4 के नाम दावा की दफा 4 के मुताबिक दर्ज नही होने के कारण वादी के खातेदारी अधिकारो पर बुरा प्रभाव पडता है। इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण से कई दफा निवेदन किया कि आप दावा की दफा 3 में दर्ज आराजी का वादी को दावा की दफा 4 के अनुसार खातेदार काश्तकार होना मान लो व इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे वादी व प्रति स. 1 ता 4 के नाम से ब.हि.ब. अंकन करवा देवें तो इस पर पहले तो वे टालमटोल करते रहे किन्तु अन्त मे पिछले सप्ताह प्रतिवादीगण वादीगण के इस निवेदन से स्पष्ट इन्कार हो गए। बस यही वादकारण हैं।अतः चक 17 बी.जी.पी. खाता स. 18/153 खाता रणजीत कौर वगैरा ज.स. 2072–75 व चक 10 ए.एम.पी. खाता स. 127/49 खाता सुखप्रीत कौर वगैरा ज.स. 2070–73 में हजूर सिह पुत्र केहर सिह के नाम दर्ज आराजी के वादी व प्रति स. 1 ता 4 ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार है। उक्त आराजी में प्रति स. 5 का कोई हक व हिस्सा नही है। अतः इसी मुताबिक वादी व प्रति स. 1 ता 4 के नाम राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।तथा उक्त खाता से हजूर सिह पुत्र केहर सिह का नाम कलमजन किया जावे।

उपरोक्त तथ्यो के आधार पर वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गई। वाद– पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया।प्रति स. 1 ता 4 ने जरिये अधिवक्ता जवाब दावा पेश किया। जो शामिल मिसल है।प्रति स. 5 की तलबी जरिये रजिस्ट्रड ए.डी. व समाचार पत्र से होने पर उनके हाजिर अदालत नही आने पर उसके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई।प्रति स. 6 की ओर से जवाब स्टेट पेश किया गया । जो शामिल मिसल है। साक्ष्य वादी में महिन्द्र सिह की ओर से शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सी.पी.सी.पेश किया गया।जो शामिल मिसल है।तथा साक्ष्य में गुरबचन सिह पुत्र चितन सिह की ओर से शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सी.पी.सी. पेश किया गया। जो शामिल मिसल है। अधिवक्ता वादी व प्रतिवादीगण ओर साक्ष्य पेश नही करना चाहते है।

बहस उभय पक्ष विद्वान अधिवक्तागण सुनी गई। बहस में वकील वादी ने कथन किया कि चक 17 बी.जी.पी. खाता स. 18/153 खाता रणजीत कौर वगैरा ज.स. 2072–75 व चक 10 ए.एम.पी. खाता स. 127/49 खाता सुखप्रीत कौर वगैरा ज.स. 2070–73 में हजूर सिह पुत्र केहर सिह के नाम दर्ज आराजी के वादी व प्रति स. 1 ता 4 ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार है। उक्त आराजी में प्रति स. 5 का कोई हक व हिस्सा नही है। अतः इसी मुताबिक वादी व प्रति स. 1 ता 4 के नाम राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।तथा उक्त खाता से हजूर सिह पुत्र केहर सिह का नाम कलमजन किया जावे। अधिवक्ता प्रतिवादी स. 1 ता 4 द्वारा सहमति व्यक्त की गई।

दस्तावेजो का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया।चक 17 बी.जी.पी. खाता स. 18/153 खाता रणजीत कौर वगैरा ज.स. 2072–75 व चक 10 ए.एम.पी. खाता स. 127/49 खाता सुखप्रीत

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

कौर वगैरा ज.स. 2070–73 में हजूर सिह पुत्र केहर सिह के नाम दर्ज आराजी के वादी व प्रति स. 1 ता 4 ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार है। उक्त आराजी में प्रति स. 5 का कोई हक व हिस्सा नही है। अतः इसी मुताबिक वादी व प्रति स. 1 ता 4 के नाम राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।तथा उक्त खाता से हजूर सिह पुत्र केहर सिह का नाम कलमजन किया जावे।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादीगण निम्नानुसार डिक्री किया जाता है कि:– चक 17 बी.जी.पी. खाता स. 18/153 खाता रणजीत कौर वगैरा ज.स. 2072–75 व चक 10 ए.एम.पी. खाता स. 127/49 खाता सुखप्रीत कौर वगैरा ज.स. 2070–73 में हजूर सिह पुत्र केहर सिह के नाम दर्ज आराजी के वादी व प्रति स. 1 ता 4 ब. हि.ब. के खातेदार काश्तकार है। उक्त आराजी में प्रति स. 5 का कोई हक व हिस्सा नही है। अतः इसी मुताबिक वादी व प्रति स. 1 ता 4 के नाम राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।तथा उक्त खाता से हजूर सिह पुत्र केहर सिह का नाम कलमजन किया जावे।

पर्चा डिक्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 13.5.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय कौशिक)
सहायक कलैक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
सांगरिया

डिकी एंव मुकदमे ईब्तदाई
(ओ.20 रूल 6—7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,संगरिया
पीठासीन अधिकारीः— जय कौशिक आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः— 426/2025

महिन्द्र सिह पुत्र हजूर सिह जाति जटसिख निवासी नथाणा तहसील व जिला बठिण्डा (पंजाब)

— वादी

बनाम

1 कुलदीप सिह पुत्र हजूर सिह जाति जटसिख निवासी नथाणा तहसील व जिला बठिण्डा (पंजाब)
2 बलविन्द्र सिह पुत्र हजूर सिह जाति जटसिख निवासी नथाणा तहसील व जिला बठिण्डा (पंजाब)
3 सुखदेव सिह पुत्र हजूर सिह जाति जटसिख निवासी नथाणा तहसील व जिला बठिण्डा (पंजाब)
4 दर्शन सिह पुत्र हजूर सिह जाति जटसिख निवासी नथाणा तहसील व जिला बठिण्डा (पंजाब)
5 अमरजीत कौर पुत्री हजूर सिह पत्नी अमरीक सिह जाति जटसिख निवासी नारंग तहसील डबवाली जिला सिरसा (हरि0)
6 तहसीलदार (राजस्व) संगरिया तह. संगरिया

प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री नक्षत्र सिह सिद्धू वकील वादी व अधिवक्ता प्रति स. 1 ता 4 श्री चरणजीत सिह सिद्धू एड. मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है कि चक 17 बी.जी.पी. खाता स. 18/153 खाता रणजीत कौर वगैरा ज.स. 2072—75 व चक 10 ए.एम.पी. खाता स. 127/49 खाता सुखप्रीत कौर वगैरा ज.स. 2070—73 में हजूर सिह पुत्र केहर सिह के नाम दर्ज आराजी के वादी व प्रति स. 1 ता 4 ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार है। उक्त आराजी में प्रति स. 5 का कोई हक व हिस्सा नही है। अतः इसी मुताबिक वादी व प्रति स. 1 ता 4 के नाम राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।तथा उक्त खाता से हजूर सिह पुत्र केहर सिह का नाम कलमजन किया जावे।

नोटः— यदि प्रशनगत भुमि बैक रहन हो तो रहन मुक्त होने के पश्चात् ही अमल दरामद किया जावे।

निज......X...... नल......X......मुब्लिक......X...... निल......X......बाबत् ......X......निल......X......खर्चा मुकदमे के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक......X......अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक......13.5.2026......को जारी किया गया।

(जय कौशिक)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया